संख्या—2596 / अट्ठासी—1—2009

प्रेषक,

देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अनुभाग   लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2009

विषय—नवगठित खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के कार्मिकों के जिला स्तरीय कार्यालय की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1897 / बीस—1—ई—2009 603(47) / 90टी0 सी0—15, दिनांक 30.07.09 द्वारा उ0प्र0 शासन के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन चिकित्सा अनुभाग—8 को समाप्त करते हुये खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग का गठन किया गया है।

2— उक्त गठन के पूर्व खाद्य एवं औषधि संवर्ग के जिला स्तरीय कार्मिकों के कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय परिसर में एवं मण्डल स्तर के कार्मिकों के कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय परिसर में स्थापित थे। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के गठन के पश्चात यह आवश्यक हो गया है कि नव गठित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जिला स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय कार्यालयों की पृथक से व्यवस्था की जाये।

3— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मण्डलो / जनपदों के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के कार्यालय पृथक से सामान्यतः कलेक्ट्रेट परिसर में अथवा ऐसा न हो सकने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित करने हेतु दो अलग कक्ष आवंटित करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या—2596 (1) / अट्ठासी—1—09—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1— प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
2— आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ।
3— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0, लखनऊ।
4— वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0, लखनऊ।
5— समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुखतियार)
संयुक्त सचिव।